भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

परिपत्र

सं. आई.बी.बी.आई./एल.आई.क्यू./70/2024 **22 फरवरी. 2024**

सेवा में,
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक
समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पतों पर मेल द्वारा और आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट पर)

महोदय/महोदया
विषयः समापन प्रक्रिया में पारदर्शिता और हितधारक भागीदारी में वृद्धि

हितधारकों को प्रगति रिपोर्टों का परिचालन

1. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016(समापन विनियम) के विनियम 15 में यह उपबंध है कि परिसमापक प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् पन्द्रह दिन के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी(ए.ए.) और दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(आई.बी.बी.आई.) को प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा । यद्यपि विनियम में ए.ए. और बोर्ड को प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए उपबंध किया गया है तथापि इन्हें पारिस्थितकी-तंत्र के प्रमुख हितधारकों, अर्थात् लेनदारों को साझा नहीं किया जाता है जिससे वे प्रक्रिया में हुई प्रगति से अनभिज्ञ रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप जानकारी संबंधी विषमता उत्पन्न होती है ।

2. तदनुसार, यह निदेश दिया जाता है कि परिसमापक, हितधारक परामर्श समिति(एस.सी.सी.) के सदस्यों से गोपनीय वचनबंध प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें प्रगति रिपोर्टें साझा करेगा । इसके अतिरिक्त, परिसमापक विनियम 15 के अधीन प्रगति रिपोर्टें, विनियम 45 के अधीन अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने तक प्रस्तुत करेगा ।

प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करना

3. समापन विनियमों के विनियम 13 में परिसमापक को इस बात के लिए आदिष्ट किया गया है कि वह कारपोरेट ऋणी के विभिन्न पहलुओं और समापन प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए आशयित कार्य-योजना के ब्यौरे देते हुए ए.ए. को प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । तथापि, प्रस्तुत विनियम में, प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करने में एस.सी.सी. से परामर्श करने की कमी है जिसके परिणामस्वरूप इसमें महत्वपूर्ण हितधारकों की अंतर्दृष्टि की अनदेखी करने का जोखिम है ।

4. तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि परिसमापक, विनियम 13 के अधीन प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करते समय एस.सी.सी. के सदस्यों से सुझावों/संप्रेक्षणों की ईप्सा करेगा और ऐसे सुझावों/संप्रेक्षणों पर विचार करने के पश्चात् प्रारंभिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा और तत्पश्चात्, उसे ए.ए., बोर्ड और एस.सी.सी. के सदस्यों को प्रस्तुत करेगा।

अंतिम रिपोर्ट, प्ररूप ज और प्रक्रिया बन्द करने/विघटन के आदेश को आई.बी.बी.आई. के साथ साझा करना

5. यह निदेश दिया जाता है कि परिसमापक, विनियम 45 के अनुसार न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल की गई अंतिम रिपोर्ट सहित प्ररूप ज की प्रति और प्रक्रिया को बन्द करने/विघटन करने संबंधी आदेश बोर्ड को ईमेल आई.डीः liq.cirp@ibbi.gov.in पर प्रस्तुत करेगा ।

6. यह परिपत्र दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 196 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है ।

भवदीय

हस्ता.

(राजेश तिवारी)

महाप्रबंधक